

**राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर**

**सीमित निविदा सूचना**

क्रमांक—प.21(78)ए.सी.मरम्मत / पार्ट—2 / 19—20 / 331

दिनांक: 09.03.2022

आयोग कार्यालय एवं अतिथि—गृह में स्थापित विष्णो एवं स्पिलिट एयर कन्डीशनर्स व वाटर कूलर्स की सर्विसिंग मय पार्ट्स एवं रख रखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2021—2022 हेतु वार्षिक दर पर अनुबंध करने हेतु संबंधित फर्मों, अधिकृत सर्विस केन्द्रों/डीलरों आदि से सीलबंद सीमित निविदा आमंत्रित की जानी है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

**कार्य का विवरण निम्नप्रकार है:—**

	कार्य	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	बिड प्राप्ति की अन्तिम तिथि व समय	बिड खोलने की तिथि व समय
1.	स्पिलिट / विष्णो ए.सी. एवं वाटर कूलर सर्विस मय पार्ट्स	1.90	दिनांक 15.03.22 दोपहर 1.00 बजे से	दिनांक 15.03.22 सायं 3.00 बजे तक

बिड प्रपत्र एवं शर्ते [www.rpsc.rajasthan.gov.in](http://www.rpsc.rajasthan.gov.in) एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

**उप सचिव**

क्रमांक—प.21(78)ए.सी.मरम्मत / पार्ट—2 / 19—20 / 331-334

दिनांक:—09.03.2022

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. प्रभारी अधिकारी आई.टी.सेल को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. नोटिस बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

**उप सचिव**

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

बिड जमा कराने की अन्तिम तिथि  
15.03.2022  
अपराह्न 1.00 बजे तक

### निविदा प्रपत्र

ए.सी.स्पिलिट एवं विण्डों ए.सी.एयर कन्डीशनर्स एवं वाटर कूलर्स की सर्विसिंग मय पार्टस एवं रख रखाव आदि के लिए सीमित निविदा

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम .....  
दूरभाष / मोबाइल नम्बर एवं डाक का पता .....  
.....  
बैंक खाता संख्या.....  
बैंक का नाम ..... शाखा का नाम.....  
..... IFSC Code.....
2. किसको संबोधित की गई :— सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संदर्भ – सीमित निविदा सूचना संख्या..... दिनांक : .....
4. हम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गयी सीमित निविदा सूचना सं.....  
दिनांक .....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से आदेश में उल्लेखित अवधि के भीतर की सुपुर्दगी आयोग को आवश्यक रूप से देनी होगी।
6. वित्तीय निविदा में उद्वत की गयी दरें अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
7. जी.एस.टी.पंजीयन सं.....पेन नम्बर.....की प्रति संलग्न है, इनके अभाव में बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्तें अंकित की जाती हैं तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्तों को अमान्य करने का अधिकार आयोग को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय सील

## वित्तीय बिड

इस बिड से सम्बन्धित सभी प्रतिबंध एवं शर्तों को हमने/मैंने पढ़ लिया है और ये प्रतिबंध एवं शर्त मुझे/हमें स्वीकार्य है तथा ए.सी एवं वाटर कूलर्स सर्विस एवं मरम्मत करने एवं बिड में उल्लेखित समस्त कार्यों के सम्बन्ध में दरें निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की राशि ( समस्त करों व चार्जेज सहित ) राशि अंकों में	राशि शब्दों में
1.	विण्डो ए.सी. सर्विसिंग प्रति एसी		
2.	स्पिलिट ए.सी. सर्विसिंग प्रति एसी		
3.	कम्प्रेशर बदलना 1.5 टन (विण्डो ए.सी.)		
	कम्प्रेशर बदलना 2.0 टन (विण्डो ए.सी.)		
4.	फेन मोटर रिवाइडिंग		
5.	नयी फेन मोटर		
6.	केपेसेटर बदलना 15 / 25 एम.एफ.डी		
	केपेसेटर बदलना 45 / 50 एम.एफ.डी		
7.	गैस चार्जिंग (स्पिलिट / विण्डों)		
8.	अन्य कार्य		
9.	शिफटिंग AC (स्पिलिट / विण्डों)		
10.	फेन ब्लेड बदलना		
11.	ब्लोअर बदलना (विण्डों)		
12.	ब्लोअर बदलना (स्पिलिट)		
13.	थर्मस्टेट बदलना (विण्डों)		
14.	स्टार्टिंग केपेसेटर 120 / 150 एम.एफ बदलना		
15.	स्पिलिट AC पावर सप्लाई कार्ड रिपेयर		
16.	स्पिलिट AC पावर सप्लाई कार्ड बदलना		
17.	स्पिलिट ए.सी. कोन्ट्रोलर		
18.	स्टार्टिंग रिले बदलना		
19.	कण्डेन्सर कॉयल बदलना		
20.	कण्डेन्सर कॉयल रिपेयर		
21.	कॉपर पाईप प्रति फीट		
22.	कॉपर वॉयर प्रति फीट		
23.	कॉन्ट्रोलर बदलना		
24.	कूलिंग कॉयल (स्पिलिट)		
25.	कूलिंग कॉयल (विण्डों)		
26.	वॉल बदलना		
27.	आउट डोर/कॉयल/फेन जाली		

### वाटर कूलर

1.	वाटर कूलर की सर्विस (मय पार्ट्स)	
2.	कम्प्रेशर बदलने	
3.	गैस चार्जिंग	
4.	फेन मोटर रिवाइडिंग	
5.	नये फेन मोटर	

नोट :- 1. निविदादाता समस्त कर व चार्जेज सहित अपनी दरें प्रस्तुत करेगा ।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य खराब पार्ट्स आवश्यकतानुसार बाजार प्रचलित दर पर अनुमोदित करवाते हुए लगाना होगा ।

3. निविदा से सम्बन्धित कार्य का विवरण, नियम एवं शर्तें संलग्न हैं जिनका अध्ययन अवश्य कर लिया जावें । मैं/हम इससे पूर्णतः सहमत हैं ।

हस्ताक्षर बोलीदाता : .....

नाम : .....

पूरा पता : .....

: .....

मोबाईल नम्बर : .....

Email : .....

### निविदा के लिये शर्तें

राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर के विन्डो ए.सी.एवं स्पिलिट एसी एवं वाटर कूलर्स खराब होने की स्थिति में मरम्मत करवाने हेतु वार्षिक दर संविदा सीमित निविदा द्वारा स्वीकृत करने हेतु टर्म्स एवं कंडिशन ( शर्तें ) निम्नांकित होगी ।

1. निविदाएँ उचित रूप से मोहर बंद होनी चाहिए ।
2. एसी मरम्मत कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं से दर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं उक्त कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जावेगा जिसकी अधिकतम राशि 1.90 लाख तक होगी ।
3. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेताधिकारी को लिखित में निविदादाताओं द्वारा दी जायेगी।इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा ।
4. निविदा प्रारूप स्याही से अथवा टंकण से भरा जायें। पेंसिल से भरी गई निविदा मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की शर्तों को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र देगा ।
5. दरें शब्दों एवं अंको दोनों में लिखें। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां/कांट-छांट नहीं होनी चाहिये। यदि किसी प्रकार की शुद्धि करनी है वह स्पष्ट रूप से मय अपने लघु हस्ताक्षर के करनी चाहिये ।
6. दरें समस्त करों सहित देनी होगी ।
7. दरें एफ.ओ.आर. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर स्वीकार की जायेगी ।
8. विधि मान्यता—निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।
9. निविदादाता अपनी अनुमोदित दर का या उससे सार्वान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेंगा उप भाड़े पर नहीं देगा ।
10. निविदा में वर्णित कार्य क्रेता अधिकारी के संतुष्टी के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई कर एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निविदा निरस्त कर सकता है एवं इस प्रकार निरीक्षण करने के समय भी निविदा निरस्त कर सकता है इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को भी अभिलिखित करेगा ।
11. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनहिता होगी ।
12. सुपुर्दगी अवधि सफल निविदादाता को सप्लायी आदेश जारी होने की तिथि से आदेश में दिये गये कार्यदिवस में सप्लाई/पूर्ण करनी अनिवार्य होगी ।
13. सफल निविदादाता को आदेश जारी होने कि तिथि से 07 कार्य दिवस के भीतर अनुमानित क्रय लागत का 2.5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रु. 4750/- के एफ.डी.आर./एन.एस.सी. /बैंकर चैक के रूप में जमा कराना होगा । तथा एक प्रारूप में करार करना होगा । सिक्योरिटी राशि दर प्रस्ताव की अवधि जो कि क्रय आदेशानुसार संतोषजनक सप्लाई होने अथवा फर्म के विरुद्ध किसी प्रकार के बकाया न होने के प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी । (2)सिक्योरिटी राशि का समपहरण—सिक्योरिटी राशि का पूर्ण/आंशिक समपहरण निम्नलिखित मामलों में किया जायेगा ।

- 1.जब सीमित निविदा व क्रय आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया हो ।
- 2.जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों ।
- 3.सिक्योरिटी राशि को समर्पहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय में पूर्व नोटिस दिया जायेगा इस सबन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।
- 4.करार पत्र पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा विभाग को उस करार पत्र कि एक स्टाम्प सुदा प्रति प्रस्तुत की जायेगी ।
- 14.भुगतान— प्राप्त माल का राजकीय नियमानुसार भुगतान किया जायेगा । किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- 15.क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने या न्यूनतम दर वाली निविदा रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है ।
- 16.सशर्त एवं तार द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं होगी ।
- 17.सभी विवादो का न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा ।
- 18.निविदा में दर्शायी मात्रा में कमी/वृद्धि करने का अधिकार क्रेता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।
- 19.(1)कार्य आदेश में सुपुर्दगी के लिये दिया गया समय अन्तिम होगा तथा सफल निविदादाता को आदेश में निर्धारित अवधि में सप्लायी करनी होगी । जो अधिकतम 7 दिवस होगी ।

(2)वसूलिया:—सप्लायी किये गये सामान में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर, क्षय होने पर, टूट फुट होने पर राशि बिल में से काटी जायेगी यदि सप्लायी टूटे या कम पाये सामान समय पर संतोषजनक ढंग से नहीं बदलता है तो उसके देय राशि एवं प्रतिभूति राशि में से उसकी वसूली की जायेगी । यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या पर्वत किसी अन्य कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

- 20.मरम्मत कार्य अच्छी क्वालिटी व सही होना चाहिये, सही नहीं होने पर निविदादाताओं को सामग्री बिना अतिरिक्त चार्ज लिये पुनः अपने खर्च पर ठीक कर देना होगा ।
- 21.निविदा में दी गई दरें एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी । जिसे त्ज्ज्ञ ।अ 2012 एवं त्ज्ज्ञ 2013 के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा ।
- 22.निविदा प्रपत्र मूल ही स्वीकार किये जायेंगे ।
- 23.निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा उसने निविदा में अंकित सामग्री आदि अंकित दरें से कम कीमत पर किसी भी ग्राहक का मरम्मत कार्य नहीं किया है ।
- 24.शर्तों के अनुसार सम्पादित हानि की कटौती फर्म के बिलो में से काटी जायेगी ।
- 25.सभी प्रकार के करों की कटौति राजकीय नियमानुसार की जावेगी ।
- 26.निविदा पर त्ज्ज्ञ अधिनियम —2012 एवं त्ज्ज्ञ नियम .2013 के प्रावधान प्रभावशील होंगे ।
- 27.जीएसटी भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।

28. दरें स्वीकार होने पर आयोग द्वारा दिये गये आदेशानुसार सर्विस/मरम्मत शीघ्रतिशीघ्र करना होगा।
29. किसी भी प्रकार की कमी/खराबी आती है तो उसे बदलने/ठीक करने की जिम्मेदारी अनुमोदित बोलीदाता की होगी।
30. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
31. पुराने पार्ट्स एंव सामग्री आयोग कार्यालय में जमा करानी होगी। तत्पश्चात बिल भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
32. न्यूनतम (01) एक वर्ष की वारन्टी/गारन्टी भी देनी होगी कोटेशन में दरें सभी कर/जीएसटी सहित अंकित की जाये।
33. केता अधिकारी करों का पृथक से भुगतान नहीं करेगा। करों के भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
34. देय कर/जीएसटी का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
35. उक्त सामग्री के लिए RTPP-अधिनियम 2012, एवं RTPP-नियम 2013 के प्रावधान प्रभावशील होंगे।
36. कार्यादेश से दस दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर आयोग सचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आमंत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता/बाजार से कार्य करवाए जा सकेंगे जिस पर हुए अतिरिक्त/सम्पूर्ण व्यय की राशि सफल निविदादाता से वसूल कर ली जायेगी।
37. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाली बिड़ों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
38. किसी भी बिड अथवा समस्त बिड़ों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को होगा।
39. मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें एवं नियम पढ़ लिये हैं तथा मैं/हम इससे पूर्णतः सहमत हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय सील